



न्यूयॉर्क राज्य के मूल बाल श्रमि कानून

dol.ny.gov/child-labor-law-hub

WE ARE YOUR DOL



Department
of Labor

नियोक्ताओं के लिए जानकारी

नाबालिग निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते हैं

14- से 15 साल के बच्चे:

- फैक्ट्री का काम
- औजारों/उपकरणों के साथ खाना बनाना या बेक करना
- मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए सुविधाओं पर काम करना

14 से 17 साल के बच्चे (सभी नाबालिग):

- निर्माण, लॉगिंग, मांस पैकिंग, खनन, आदि।
- बिजली से चलने वाले किसी उपकरण या मशीनरी का संचालन
- रेडियोधर्मी या जहरीले पदार्थों के संपर्क में काम करना
- ईंटों का उत्पादन या विस्फोटकों की हैंडलिंग
- अधिकांश परिवहन, वेयरहाउस या स्टोरेज
- जेलों और सुधारक सुविधाओं में काम करना

जिन जगहों पर शराब का सेवन होता है और इसे परोसा जाता है, वहां नाबालिग शराब नहीं परोस सकते। यदि नाबालिग उन कंटेनरों को संभालते हैं जहां शराब परोसी जा सकती थी, तो उन्हें 21 वर्ष से अधिक उम्र के किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष सुपरविजन की आवश्यकता होती है। उन जगहों पर जहां शराब बेची जाती है, लेकिन परिसर में इसका सेवन नहीं किया जाता है, बिक्री की देखरेख 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए।

स्कूल के दौरान काम के घंटे

14- से 15 साल के बच्चे

- स्कूल के दिनों में 3 घंटे
- स्कूल के दिनों के अलावा 8 घंटे
- प्रति सप्ताह 18 घंटे या 6 दिन से अधिक नहीं
- काम के घंटे सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच हो सकते हैं

16- से 17 साल के बच्चे

- सोमवार-गुरुवार 4 घंटे तक
- शुक्रवार-रविवार और अवकाश के दिनों में 8 घंटे तक
- प्रति सप्ताह 28 घंटे या 6 दिन से अधिक नहीं
- स्कूल की रात में काम का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच हो सकता है; गैर-स्कूली दिनों में सुबह 6 बजे और 12 बजे

स्कूल के ब्रेक के दौरान काम के घंटे

14- से 15 साल के बच्चे

- प्रति दिन 8 घंटे तक
- प्रति सप्ताह 40 घंटे या 6 दिन से अधिक नहीं
- काम के घंटे सुबह 7 बजे से शाम 9 बजे के बीच हो सकते हैं

16- से 17 साल के बच्चे

- प्रति दिन 8 घंटे तक
- प्रति सप्ताह 48 घंटे या 6 दिन से अधिक नहीं
- काम के घंटे सुबह 6 बजे से 12 बजे के बीच हो सकते हैं